**दांडिक प्रकरण क्रमांकः 599/2022, अभियोजन साक्षीः सागर बघेल (अ.सा. 02)**
**दिनांकः 26.02.2024**

**साक्ष्य प्रारंभ –03:10 बजे**
**मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ.**

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को पहचानना व्यक्त किया है। आरोपीगण मेरे परिवार के है एवं रिश्ते में दादा है। घटना दिनांक 06.10.2022 की दिन गुरूवार समय लगभग 06:00 बजे की है। घटना दिनांक को मैं, मेरी पत्नी युगेश्वरी एवं भांजा सूर्यकांत वर्मा ग्राम मोहतरा का मेला देखने मोटर सायकल से जा रहे थे। ग्राम पंचायत के सामने मेरी पत्नी युगेश्वरी एवं भांजा सूर्यकांत को मोटर सायकल से उतारा एवं मैं रोड किनारे गाड़ी लगाने थोड़ी दूर चला गया। जब मैं वापस आ रहा था तो आरोपी शरद बघेल मेरी पत्नी के स्तन को दबाते हुए गाल को छू रहा था जिसे मैंने देखा और आरोपी शरद बघेल को बोला कि क्या कर रहे हो।

02. फिर उसी समय घटना स्थल पर ही आरोपी शरद बघेल का छोटा भाई रमेश बघेल आया। फिर आरोपी रमेश बघेल मुझे बोला कि क्या कर लोगे कहकर बोला और वहां से चला गया। आरोपी घटना स्थल से जाने से पहले मुझे व मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया था। पटवारी द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा प्र.पी.04 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध किये थे।

**::– प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री गोकुल राजपूत अधिवक्ता वास्ते आरोपी/गण :: –**

03. मैं कक्षा 12 वीं तक पढ़ा हूं। यह कहना सही है कि मैं जो घटना बता रहा हूं उस दिन गांव में दशहरा मेला लगा हुआ था, ज्यादा भीड़ नहीं थी दो–चार लोग आ जा रहे थे। मैं जो घटना बता रहा हूं उस समय मैं, मेरा भाजा सूर्यकांत वर्मा, चाची सरोज एवं पत्नी युगेश्वरी उपस्थित थे। वहां पर गांव के बहुत से लोग मौजूद थे। घटना स्थल के पास सरोज थी जो कि रिश्ते में मेरी चाची है। गांव के और लोग थे उसे मैं नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि आरोपीगण मानसिक रोगी नहीं है। मेरी पत्नी के साथ घटना हुई है कथन कर रहा हूं उसमें जब आरोपीगण घटना कारित किये तो मेरी पत्नी शोर शराबा नहीं किया और ना ही गांव के किसी व्यक्ति को बुलाया। गांव वालों का हमलोगों के साथ किसी प्रकार से दुश्मनी नहीं है। घटना के संबंध में गावं में बैठक नहीं किये थे।

05. यह कहना सही है कि गांव में कुछ घटना, दुर्घटना हो जाता है तो गांव के लोग इक्ट्ठा होकर बैठक करते है एवं समाधान निकालते है। यह कहना सही है कि मैं जो घटना बता रहा हूं उसके बाद इस तरह का कोई घटना गांव में नहीं हुआ है। मैं आज न्यायालय अपने मेरी पत्नी एवं पिता बिससेर के साथ आया हूं, एवं सभी लोग एक साथ एक ही मोटर सायकल में आये है। मैं इस प्रकरण में पैरवी करने हेतु किसी अधिवक्ता को नहीं लगाया हूं। यदि मेरी पत्नी ने बयान में हमलोग पहले से आ गये है एवं पिता जी पीछे–पीछे आ रहे है बोली होगी तो वह गलत है, हमलोग एक साथ आये थे। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी के सामने किसी प्रकार का कोई नजरी नक्शा तैयार नहीं किया है। मेरी पत्नी के सामने पुलिस वाले ने नजरी नक्शा बनाये है। यदि मेरी पत्नी उसके सामने पुलिस वाले नजरी नक्शा तैयार नहीं किये है कथन की है तो वह गलत है। मेरी पत्नी के सामने हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार से नजरी नक्शा तैयार नहीं किया है।

06. यह कहना गलत है कि थाना साजा वालों के द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र प्र.पी.01 में रमेश बघेल का नाम नहीं लिखा है और ना ही प्र.पी.02 प्रथम सूचना पत्र में रमेश का नाम

लिखा है। यह कहना सही है कि मैं थाना साजा के अलावा महिला थाना बेमेतरा में बयान मैं और मेरी पत्नी ने नहीं दिया है। यह कहना सही है कि यदि पुलिस वाले के द्वारा महिला थाना का बयान या महिला कर्मचारी के द्वारा बयान लेखबद्ध किया होगा तो वह गलत है। यह कहना सही है कि महिला पुलिस द्वारा मेरी पत्नी एवं मेरा कभी भी बयान नहीं लिया है। यह कहना सही है कि यदि ऐसा बयान महिला पुलिस के द्वारा लेखबद्ध अभियोग पत्र के साथ पेश किया होगा तो वह गलत है।

07. यह कहना गलत है कि पंचायत चुनाव में हारने के कारण उक्त दोनों परिवार के बीच वैमनस्यता है। यह कहना गलत है कि मेरे परिवार एवं आरोपीगण के परिवार के बीच बोलचाल है कि नहीं। मैं बीजेलाल एवं लोमन को जानता हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि लोमन एवं बीजेलाल भी मेरे साथ थाना आया था कि नहीं। यह कहना गलत है कि लोमन के कहने पर हमलोग थाना साजा रिपोर्ट लिखाने उनके साथ आये थे एवं किसी प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है। यह कहना सही है कि हमारे घर के सामने आरोपीगण का बहुत सारा जमीन है जिसको हमलोग उपयोग करते है, उपयोग करने से आरोपीगण के द्वारा मना किया गया था, इस कारण से हमलोगों के बीच मनमुटाव है।

08. यह कहना सही है कि शरद बघेल का परिवार और शरद बघेल के द्वारा ही मेरे एवं मेरी पत्नी का विवाह का रिश्ता तय कराया था। यह कहना सही है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त किये होगे तो उसे जानता हूं। यह कहना सही है कि मैं जो घटना बता रहा हूं उसमें किसी ने बीच बचाव नहीं किया है और ना ही मैं किसी को आवाज लगाया हूं। यह कहना गलत है कि मैं आरोपीगणों के विरूद्ध दोनों परिवार के बीच आपसी रंजिश होने से मेरी पत्नी ने झूठा रिपोर्ट लिखाया हूं।

गवाह को पढ़कर सुनाये जाने पर सही होना स्वीकार किया।

मेरे निदेशन पर टंकित

**(श्रीमती अंकिता मुदलियार)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी**
**साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)**

साक्षी हस्ताक्षर

**(श्रीमती अंकिता मुदलियार)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी**
**साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)**

साक्ष्य समाप्त :– 04:30 बजे